Unique id no: UP/DA/2020/8015

कार्यातय, गौतमबुद्ध नगर

पत्राक 2020/8015 /कोविड-19/इकाई अंचालन हेत्/2020-21 दिनांक 11/May/2020

अनुमति पत्

ਸੈਂਸ਼ਸ਼ Pi Infotech LLP

A-11, Lower Ground Floor, Sect-67 Noida

कृपया अपने आनताईन आवेदन पत् संख्या 2020/8015 दिनांक 10/May/2020 का सन्दर्भ गृहण करे। उक्त आवेदन पत् द्वारा इकाई Pi Infotech LLP को Services की मैन्यूफैक्चरिंग/ सेवा कार्य प्रारम्भ करने की अनुमति पूदान किये जाने हेतु अनुरोध किया गया हैं। किये गये अनुरोध के कूम मे उ0पू0 सरकार द्वारा समय≤ पर जारी दिशा निदेशों को ध्यान में रखते हुए संगत शासनादेशों के अनुपालन में लाकडाउन अविध मे सन्दर्भित इकाई को निम्नितिखत शर्तों के साथ कार्य प्रारम्भ करने की अनुमित पूदान की जाती हैं।

- 1- भारत सरकार/राज्य सरकार/जिला पूशासन एवं सक्षम पूर्ाधकारी द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 2- परिसर के अन्दर भूमिकों कार्मिकों के मास्क एव सेनीटाइजेशन, सोशत डिस्टेंसिंग तथा स्वास्थ्य परीक्षण एवं सुरक्षा से सम्बन्धित अन्य सभी न्यवस्थाये सुनिश्चित की जायेगी तथा कार्मिको एवं भूमिको के सम्पर्क में आने वाली/बाहर जाने वाली समस्त वस्तुओं को सेनीटाईजेशन कराया जायेगा।
- 3-कार्यस्थल पर कार्य करने वाले कार्मिकों द्वारा स्वास्थ्य एव परिवार कल्याण मत्रांलय, भारत सरकार द्वारा Social Distancing norms का अनुपालन करवाना होगा तथा कार्यस्थल पर तम्बाकू का सेवन करने एवं यतू -तत् थूकने पर दण्ड के भागी होगें।
- 4-इकाई न्यूनतम शूमिको/ कामिको द्वारा संचातित की जायगी।
- 5-कार्यस्थल पर आने वाले सभी भूमिको/कार्मिको को उनकी संख्या के अनुसार स्क्रीनिंग हेतु इन्फ्रारेड थर्मामीटर/ थर्मल स्क्रीनर की उपरान्त कार्यस्थल को सेनीटाईजेशन किया जायेगा।
- 6-किसी कार्मिक/ भ्रमिक में किसी भी पूकार के बीमारी के लक्षण दिखायी देने पर तत्काल सक्षम प्राधिकारी/ स्वास्थ्य विभाग को सूचित किया जायेगा तथा उसके सम्पूर्ण ईलाज की जिम्मेदारी इकाई के स्वामी की होगी।
- 7-इकाई को प्रारम्भ करने से पूर्व भूमिको/ कर्मचारियो का RT-PCR TEST RANDOM आधार पर कराकर यह सूनिश्चित कर तिया जायेगा कि उनमे Infection Circulate नहीं कर रहा हैं
- 8- इकाई में कार्य के लिये आने वाला कोई भी भूमिक/ कर्मचारी / अधिकारी Hot-Spot/containment Zone से सम्बन्धित नहीं होना चाहिए।
- 9-आपदा पूर्वधन अधिनियम-२००५ के संगत पूर्विधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 10-उक्त निर्देशों के अनुपालन में किसी भी पूकार की शिथिलता पाये जाने पर दी गयी अनुमति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी।

हस्ताक्षर